




झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
चायबगान, कालीनगर, नामकोम, राँची—834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com



विवरणिका

विज्ञापन संख्या—07 / 2025

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निरीक्षणालय के अधीन कक्षपाल (पुरुष) एवं कक्षपाल (महिला) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा—2025}

झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा— 2025
(नियमित एवं बैकलॉग रिक्ति)

JKCE -2025 (Regular & Backlog Vacancy)

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक— 06/क0च0आ0—02—05/2024 का0—5238 (अनु०) दिनांक—02.09.2025 एवं पत्रांक—5237 (अनु०) दिनांक—02.09.2025 के द्वारा अग्रसारित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—4940 दिनांक—11.08.2025 एवं पत्रांक—4941 दिनांक—11.08.2025 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा—2025 के लिये ऑन—लाईन (Online) आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.jharkhand.gov.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क रु. 100/- (एक सौ रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूटः— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 50/- (पचास रुपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

3. (क) झारखण्ड राज्य के कक्षपाल (पुरुष) एवं कक्षपाल (महिला) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी :—

(i) कक्षपाल (पुरुष)

पदनाम	कुल रिक्तियाँ	कुल रिक्ति में कर्णाकण	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण		
				खेलकुद कोटा	पदों की संख्या	झारखण्ड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को देय 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
कक्षपाल (पुरुष)	1634	भूतपूर्व सैनिकों के लिए 165	अनारक्षित—66	03	17	08
			अ.ज.जा.—42 (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)			
			अ.जा.—17			
			पिछड़ा वर्ग (अनु.—2)—10			
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.—1)—13			
			आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग —17			
		गृह रक्षकों के लिए 413	योग — 165	03	17	08
			अनारक्षित—165	08	41	21
			अ.ज.जा.—108 (02 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)			
			अ.जा.—41			
			पिछड़ा वर्ग (अनु.—2)—25			
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.—1)—33			
		अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग —41	08	41	21
			योग — 413	21	106	53
			अनारक्षित—423			
			अ.ज.जा.—275 (06 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)			
			अ.जा.—106			
			पिछड़ा वर्ग (अनु.—2)—63			
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.—1)—84	21	106	53
			आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग —105			
			योग — 1056	21	106	53

(ii) कक्षपाल (महिला)

पदनाम	कुल रिक्तियाँ	कुल रिक्ति में कर्णांकण	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण		
				पदों की संख्या		
				खेलकुद कोटा	झारखण्ड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को देय 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण	झारखण्ड राज्य के गठन हेतु किये गए आंदोलन के आंदोलनकारियों के आश्रितों को देय 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
कक्षपाल (महिला)	64	भूतपूर्व सैनिकों के लिए 08	अनारक्षित—04	00	01	00
			अ.ज.जा.—02			
			अ.जा.—01			
			पिछड़ा वर्ग (अनु.—2)—00			
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.—1)—01			
			आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग —00			
			योग — 08	00	01	00
		गृह रक्षकों के लिए 20	अनारक्षित—09	00	02	01
			अ.ज.जा.—05			
			अ.जा.—02			
			पिछड़ा वर्ग (अनु.—2)—01			
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.—1)—02			
			आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग —01			
			योग —20	00	02	01
		अन्य अभ्यर्थियों के लिए 36	अनारक्षित—15	01	04	02
			अ.ज.जा.—09			
			अ.जा.—04			
			पिछड़ा वर्ग (अनु.—2)—02			
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.—1)—03			
			आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग —03			
			योग — 36	01	04	02

3. (ख) झारखण्ड राज्य के कक्षपाल (पुरुष) एवं कक्षपाल (महिला) के पद पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी :—

(i) कक्षपाल (पुरुष)

पदनाम	कुल रिक्तियाँ	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण		
			खेलकुद कोटा	झारखण्ड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को देय 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण	झारखण्ड राज्य के गठन हेतु किये गए आंदोलन के आंदोलनकारियों के आश्रितों को देय 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
कक्षपाल (पुरुष)	19	अनारक्षित—00	00	02	01
		अ.ज.जा.—11			
		अ.जा.—02			
		पिछड़ा वर्ग (अनु.—2)—03			
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.—1)—03			
		आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग —00			
		योग — 19	00	02	01

(ii) कक्षपाल (महिला)

पदनाम	कुल रिक्तियाँ	आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण		
			खेलकुद कोटा	झारखण्ड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को देय 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण	झारखण्ड राज्य के गठन हेतु किये गए आंदोलन के आंदोलनकारियों के आश्रितों को देय 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
कक्षपाल (महिला)	16	अनारक्षित—00	00	02	01
		अ.ज.जा.—10			
		अ.जा.—03			
		पिछड़ा वर्ग (अनु.—2)—02			
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.—1)—01			
		आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग —00			
		योग — 16	00	02	01

➤ कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।

4. (क) भूतपूर्व सैनिक/गृह रक्षक के लिए कर्णाकिंत पद के विरुद्ध अपेक्षित संख्या में योग्य भूतपूर्व सैनिक/गृह रक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियाँ आरक्षित/अनारक्षित कोटि के वैसे उम्मीदवारों से भरी जायेंगी जो सुरक्षित पदों की श्रेणी के नहीं हों।

(ख) गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित पद क्षैतिज श्रेणी के होंगे अर्थात् अनारक्षित एवं आरक्षित पदों के विरुद्ध मेधा सूची निर्माण करते समय सुरक्षित पदों के निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक उक्त सुरक्षित श्रेणी के आवेदकों (गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक) से भरे जाएंगे। उक्त सुरक्षित पदों में भी आरक्षण के सामान्य नियम लागू होंगे। जिन रिक्तियों की भर्ती हेतु गृह रक्षक तथा भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होंगे, उन पदों पर गैर सुरक्षित कोटि के उम्मीदवारों से नियुक्ति की जायेगी एवं उसमें भी आरक्षण के सामान्य नियम ही लागू होंगे।

(ग) झारखण्ड राज्य में पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवान, जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात तीन वर्षों की अवधि एवं कम से कम ४: माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर ली हो, वैसे अभ्यर्थी ही गृह रक्षकों के लिए कर्णाकिंत पदों के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। अतः ऐसे अभ्यर्थी सुनिश्चित हो लें कि वे आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतद् सम्बन्धी अहर्ता पूरी करते हैं एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है।

(घ) प्रमाण पत्र जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी द्वारा निर्गत होना चाहिए जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-X पर धारित है। उक्त प्रपत्र से भिन्न प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ङ) सभी कोटि के गृह रक्षकों को राज्य सरकार द्वारा कोटिवार निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में ५ वर्षों की छूट दी जायेगी।

(च) झारखण्ड राज्य के सैनिक कल्याण निदेशालय में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए कर्णाकिंत पदों के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे।

(छ) भूतपूर्व सैनिकों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण—पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ज) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त “ड” या “छ” में कोई एक ही मान्य होगा।

(झ) अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में से 2 (दो) प्रतिशत रिक्तियाँ आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

(ज) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 4185 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा कक्षपाल की नियुक्ति को दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से मुक्त किया गया है। अर्थात् दिव्यांगजन इस विज्ञापन हेतु आवेदन समर्पित करने के पात्र नहीं होंगे।

(ट) झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली—2025 में किये गए प्रावधान के आलोक में झारखण्ड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को रिक्ति का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त

आरक्षित श्रेणी में सहायक पुलिस के उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियाँ गैर सहायक पुलिस उम्मीदवारों से भरी जा सकेंगी।

(ठ) झारखण्ड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर सहायक पुलिस के रूप में कार्यरत रहने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत होना चाहिए जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-XV पर धारित है। उक्त प्रपत्र से भिन्न प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ड) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की विभागीय संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सरकारी नियुक्ति में झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण अनुमान्य किया गया है। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक बार ही देय होगा।

5. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतद् संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है।

6. कंडिका-3 में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्र० सं.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को)
1	2	3	4
1	कक्षपाल (पुरुष) एवं कक्षपाल (महिला)	Level-2 (19,900–63,200)	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक / 10वीं कक्षा उर्तीण।

शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं अथवा विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

7. शारीरिक मापदण्ड :-

कक्षपाल (पुरुष) के लिए

क्रमांक	कोटि	ज़ॉचार्झ (से०मी०)	सीना (से०मी०)फुलाकर
1.	अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 2)	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
2.	अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79

कक्षपाल (महिला) के लिए

क्रमांक	कोटि	ऊँचाई (सेमी)	सीना (सेमी)
1.	महिला (सभी कोटि)	न्यूनतम 148	लागू नहीं

8. शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दौड़ आयोजित की जायेगी –

	दूरी	समय
1. पुरुषों के लिए	01 मील (1600 मीटर)	06 मिनट
2. महिला के लिए	01 मील (1600 मीटर)	10 मिनट

9. आयु सीमा :- उम्र की गणना दिनांक 01.08.2025 के आधार पर की जायेगी।

1. न्यूनतम उम्र – 18 वर्ष ।

2. अधिकतम उम्र :–

क्रम संख्या	कोटि	अन्य अभ्यर्थी	गृह रक्षक	भूतपूर्व सैनिक	सहायक पुलिस
1.	अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (पुरुष)	25 वर्ष	30 वर्ष	45 वर्ष	35 वर्ष
2.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) (पुरुष)	27 वर्ष	32 वर्ष	45 वर्ष	37 वर्ष
3.	अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 2) (महिला)	28 वर्ष	33 वर्ष	45 वर्ष	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	30 वर्ष	35 वर्ष	45 वर्ष	40 वर्ष

10. पात्रता:-

परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निर्धारित अवधि में आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने पर आयोग निर्णय ले सकता है।

11. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

11. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

- (क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IX पर धारित है।

- (ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (च) पिता/पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11.(II) जाति प्रमाण पत्र—

- (क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट—I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-II पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-III पर धारित है।

- (ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IV पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VI पर धारित है।

- (ग) आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र” प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-VII) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र मान्य होगा।

- (घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं है।
- (ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।
- (च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्त हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।
- (ज) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आवृजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।
- (ठ) बैकलॉग रिक्ति के विरुद्ध अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में वांछित जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र/स्व घोषणा समर्पित नहीं करने अथवा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से

भिन्न प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

नोट:-

- (I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I से परिशिष्ट-IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगे।
- (II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण—पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण—पत्र आयोग द्वारा प्रमाण—पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

12. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:-

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
- (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।
- (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।

- (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
- (ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक / 10वीं के सर्टिफिकेट / अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक / 10वीं के सर्टिफिकेट / अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री / मिस्टर / श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा— तिथि, माह और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट / अंक पत्र में अंकित है।

13. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना:—

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

- i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाईट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाएँ एवं Online Application for JKCE-2025 को Click करें तत्पश्चात् अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगइन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।
- iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग—इन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के पश्चात् अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

- v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
- vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
- vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

14. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :— ऑनलाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत् हैं:—

- क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक—**07.11.2025** से दिनांक—**08.12.2025** की मध्य रात्रि तक।
- ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक—**10.12.2025** की मध्य रात्रि तक।
- ग) दिनांक—**11.12.2025** से दिनांक—**13.12.2025** के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए Link पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

15. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:—

दिनांक—**11.12.2025** से दिनांक—**13.12.2025** के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई—मेल आईडी० एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को

अनारक्षित / अत्यंत पिछड़ा वर्ग—1 (अनुसूची—1), पिछड़ा वर्ग—2 (अनुसूची—2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

16. परीक्षा का स्वरूप

16.1 परीक्षा OMR आधारित होगी।

16.2 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :— परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में ली जायेगी:—

- (क) शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा
- (ख) लिखित परीक्षा
- (ग) चिकित्सीय जाँच परीक्षा

16.3 क) शारीरिक मापदण्ड (सीने की माप)/ दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति पर्षद के माध्यम से अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (01 मील की दौड़) आयोजित की जायेगी। शारीरिक मापदण्ड (सीने की माप)/ दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह परीक्षा अर्हक (Qualifying) परीक्षा है जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा।

ख) लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदण्ड (उँचाई की माप) एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सीय पर्षद द्वारा आयोजित की जायेगी तथा इसमें सफल होना अनिवार्य होगा अन्यथा मेधा सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शारीरिक मापदण्ड जाँच (उँचाई की माप) एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में अयोग्य पाये गये अभ्यर्थियों को अपीलीय चिकित्सा पर्षद के समक्ष शारीरिक मापदण्ड एवं चिकित्सीय जाँच हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चिकित्सीय जाँच के मामले में अपीलीय चिकित्सा पर्षद का निर्णय अंतिम होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगा।

ग) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर मेधासूची गठित की जाएगी तथा उनके प्रमाण—पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात् परीक्षाफल प्रकाशित करते हुए नियुक्ति के निमित्त अनुशंसा की जायेगी।

17. लिखित परीक्षा :— शारीरिक मापदण्ड (सीने की माप)/ दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जायेगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :- परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

18. मुख्य परीक्षा :-

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे:-

18.1 पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) : कुल प्रश्न – 120, परीक्षा अवधि – 2 घंटा

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	—	80 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	—	40 प्रश्न

भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़ कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

18.2 पत्र – 2

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान, कुल प्रश्न–100, परीक्षा अवधि— 2 घंटा

हिन्दी/ अंग्रेजी/ संस्कृत/ उर्दू/ संथाली/ बंगला/ मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडुख (उराँव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के एक सौ (100) बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

18.3 पत्र— 3

सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न–120, परीक्षा अवधि— 2 घंटा

(क) सामान्य अध्ययन	—	40 प्रश्न
(ख) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	—	50 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	—	10 प्रश्न
(घ) सामान्य विज्ञान	—	20 प्रश्न

सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी:- पत्र-1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र-2 एवं पत्र-3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र-2 में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र-3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :-

- | | | | |
|------|----------------------------------|---|-----------|
| (i) | हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न | – | 20 प्रश्न |
| (ii) | हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न | – | 60 प्रश्न |

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :-

- | | | | |
|------|------------------------------------|---|-----------|
| (i) | अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न | – | 20 प्रश्न |
| (ii) | अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न | – | 20 प्रश्न |

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (क्षेत्रीय भाषा)

हिंदी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट XIV** में संलग्न है।

पत्र –3 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है।

इसमें भारत देश एवं झारखण्ड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय – राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।

- (ख) **झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान :-** झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी इत्यादि।
- (ग) **सामान्य गणित :-** इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक / 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।
- (घ) **सामान्य विज्ञान :-**

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

19. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक / Normalised प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और **मेधा (Merit)** के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- (ii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में

उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक (प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को जोड़कर) से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा—सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:—
 - (I) अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग — 40 (चालीस) प्रतिशत
 - (II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग — 32 (बत्तीस) प्रतिशत
 - (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग —(अनुसूची—1) — 34 (चौंतीस) प्रतिशत
 - (IV) पिछड़ा वर्ग अनुसूची—2 — 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत
 - (V) आदिम जनजाति — 30 (तीस) प्रतिशत
- (v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा—सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी।

20. ऊँचाई की माप एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा :—

लिखित परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष मेधासूची के आधार पर कोटिवार आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अल्पसूचीबद्ध किया जायेगा। उक्त परीक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थियों की ऊँचाई की माप एवं चिकित्सीय परीक्षण जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

- ii) अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाईंडनेश (Colour Blindness) / रत्तौंधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericocele/ Hydrocele/ Piles और Any Communicable Physical/ Mental disease आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जायेगी।
- iii) अभ्यर्थियों की ऊँचाई की माप एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में अयोग्य पाये गये अभ्यर्थियों को अपीलीय चिकित्सा पर्षद के समक्ष चिकित्सीय जाँच हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चिकित्सीय जाँच के मामले में अपीलीय चिकित्सा पर्षद का निर्णय अंतिम होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगा।
- iv) प्रथम चरण के उक्त चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा कोटिवार आरक्षण के अनुसार मेधाक्रम

में नीचे आसीन अभ्यर्थियों को अगले चरण के चिकित्सीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

21. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका-19 के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर चयनित उम्मीदारों के प्रमाण पत्रों की जाँच आयोग द्वारा करायी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदारों को आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

22. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता, सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जाँच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ, समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

23. अन्यान्य:-

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-

- (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण—पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :—
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता—पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
5. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :—
- (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अहताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करना, निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करना, आवेदन में संशोधन के उपरांत परीक्षा शुल्क की अंतर राशि की भुगतान नहीं करना।
 - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अहताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
 - (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशित होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रुपये) शुल्क के साथ पुनर्गणना के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

- (xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में नाम/फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना नाम, फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

- (xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाइट पर दिया जायेगा।

- (xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।

- (xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- (xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

₹/-

परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट—(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7 / जा.नि.
—19—11/2008 का.—5682 दिनांक— 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण—पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या—..... तिथि:—.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
...पुत्र/ पुत्री/ पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/ कस्बा/ मोहल्ला
.....डाकघर..... थाना जिला राज्य.....
अनुसूचित जाति*/ अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/ उप
जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/ अनुसूचित जनजाति* के
रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... एवं/ अथवा उनका/ उनकी परिवार साधारणतः
गांव/ कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....
में निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा—23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में
अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित
जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट-(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14 / जा.नि.—03—13 / 2015 / का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा
अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :—

दिनांक :—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
पता—ग्राम/वार्ड/शहर..... पो..... थाना.....
जिला/प्रमंडल..... राज्य/संघशासित प्रदेश,
झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति के
सदस्य हैं तथा धर्म को मानने वाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर
जिला/प्रमण्डल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति
की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैद्य होगा।

टिप्पणी

- क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की
धारा— 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व—घोषणा पर आधारित है।
ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट हैः—
i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/
प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमण्डल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक
समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी
ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची
द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश 1950
(अनुसूचित जानजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)
अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

परिशिष्ट(III)

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण—पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 पिता ग्राम/नगर
 जिला/प्रमंडल राज्य/संघशासित प्रदेश
 निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति/जनजाति के सदस्य हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
 - * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
 - * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
 - * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्व क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
 - * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
 - * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजार्ज आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1986 द्वारा यथासंशोधित
 - * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
 - * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
 - * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
 - * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
 - * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
 - * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
 - * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
 - * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
 - * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
 - * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
 - * संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
 - * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
 - * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
 - * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 - * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
 - * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
2. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परि सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर
 जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

- क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।
- ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :
- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)
 - ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।
 - iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।
 - iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर

तिथि

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—7/जाति-19-11/2008 का.—10007 दिनांक— 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
.. पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम—2001*,** की धारा—2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या—3482 दिनांक— 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या—36012/22/93—स्थान (एस.सी.टी.) दिनांक— 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ—3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :—

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम
पदनाम
(कार्यालय की मुहर)

दिनांक :—
(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची—1 एवं अनुसूची—2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा—2 में सन्विहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या—3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय—समय पर यथा संशोधित।

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट-(V)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं पिता
पति/पत्नी निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर
..... पोस्ट थाना
..... अंचल जिला राज्य
..... एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
..... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था. (एस.सी.टी.)/ ज्ञारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या दिनांक में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ ज्ञारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे ज्ञारखण्ड राज्य के जिला अंचल
के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या दिनांक निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनूसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा.द.वि. एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-(VI)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/जा.नि.—03—13/2015/का। 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछ़ड़ा वर्ग/ पिछ़ड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र^(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :—

दिनांक :—

- प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
ग्राम/नगर..... जिला/प्रमंडल..... राज्य/संघशासित प्रदेश
- जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिवितयों और पदों के लिए आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची—I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये धर्म को माननेवाले हैं।
2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर जिला/प्रमण्डल
..... में निवास करता है/करते हैं।
3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93—स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ—3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या—3482 दिनांक—10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।
4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93—स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता—पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या—15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान :

दिनांक :.....

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट-(VII)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER
SECTIONS

Certificate No.


Date

.....

Valid for the Year

This is certify that Shri/Smt./ Kumari
son/daughter/wife of permanent resident of
..... village/street post office
..... District in the State/Union Territory
Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8
Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/Her family
does not own or possess any of the following assets***.

- I. 5 acres of agricultural land and above;
 - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/
EBC-I/BC-II.



Signature with seal of office

Name

Designation

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट—(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14 /स्थानीयता।
नीति—14—03 / 2016 का.—4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :—

दिनांक :—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री

पिता/ पति श्री..... पता—ग्राम/ वार्ड/ शहर.....

पो0.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—3198 दिनांक— 18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :—

दिनांक :—

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं

पदनाम

परिशिष्ट—(IX)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 5752 दिनांक— 19.07.
2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक—19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं. :—

दिनांक :—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री पिता/ पति श्री....
..... पता—ग्राम/ वार्ड/ शहर..... पो0.....
थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण
पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—3198
दिनांक— 18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत
किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/ केन्द्रशासित
प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :.....

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट-X

प्रमाण पत्र

पत्रांक

निर्गत तिथि

प्रमाणित किया जाता है कि गृह रक्षक संख्यानाम
..... पिता का नाम

पता नामांकन
की तिथि जिला झारखण्ड के एक
प्रशिक्षित ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक है। ये वर्तमान में प्रभावित बल में है। इन्होंने विभाग में तीन वर्ष
का कार्यकाल एवं छः माह या उससे अधिक अवधि की डियुटी पूरी कर ली है।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

मुहर

परिशिष्ट-(XI)

झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025 चयन पर्षद शारीरिक दक्षता परीक्षण

1. अनुक्रमांक.....
 2. अभ्यर्थी का नाम
 3. पिता / पति का नाम
 4. शारीरिक दक्षता परीक्षण की तिथि
 5. स्थान
 6. महिला / पुरुष
 7. शारीरिक दक्षता हेतु मापदण्ड
- स्वअभिप्राणित
फोटो

क्र० स०	शारीरिक दक्षता हेतु मापदण्ड	पुरुष	महिला	माप / जाँच फल	जाँच पदाधिकारी की अभ्युक्ति (सफल / असफल)
1.	छाती का माप (न्यूनतम)	अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग / पिछड़ा वर्ग (अनु.-02) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु.-01) के लिए-81 सें.मी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए-79 सें.मी।	लागू नहीं		
2.	दौड़	06 मिनट में 01 मील (1600 मीटर) की दौड़।	10 मिनट में 01 मील (1600 मीटर) की दौड़।		

8. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..... तिथि..... स्थान.....
9. चयन पर्षद का मंतव्य :-

अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल / असफल है

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर एवं सील)

परिशिष्ट-(XII)

MEDICAL BOARD
Jharkhand Kakshpal Competitive Examination -2025 (JKCE-2025)

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

Roll No: _____

Candidate Name: _____

Father /Husband's Name: _____

Gender: _____ **Date of Birth (dd-mm-yyyy):** _____

Candidate Should
Paste Passport
Size Photograph
and Sign across
the Photo

शारीरिक मापदण्ड परीक्षण :-

क्र. सं.	<u>जाँच हेतु मापदण्ड</u>		माप / जाँच फल	जाँच पदाधिकारी की अभ्युक्ति (सफल / असफल)
1.	जँचाई (न्यूनतम)	पुरुष	महिला	

अनारक्षित /आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग / पिछड़ा वर्ग (अनु.-02) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु.-01) के लिए-160 सें.मी।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 155 सें.मी।

<u>Sl. No.</u>	<u>Type of Test</u>	<u>Results</u>
1.	Physically Disability/Deformity (If any) (शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमना या अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए)	
2.	Vision	Left Eye Right Eye
3.	Colour Blindness/ Night Blindness	
4.	Hearing	
5.	Stammering	
6.	Bericocelle/ Hydrocele/ Piles (if any)	
7.	Any Communicable Physical /Mental disease.	

We certify that we have carefully examined this candidate and he/she has signed in my presence.

*He/ She has no Mental/ Physical disease and found FIT.

*He/ She has disease and is NOT FIT.

* Strike out which is not applicable.

Place: _____ Date: _____

Signature of Candidate
(In Presence of Medical Board)

1. Dr. _____ 2.Dr. _____ 3.Dr. _____
(Member of Medical Board) (Member of Medical Board) (Member of Medical Board)

4. Dr. _____
(Member of Medical Board (Female))

Dr.

(Chairperson of Medical Board)

परिशिष्ट-(XIII)

RIMS, RANCHI

Jharkhand Kakshpal Competitive Examination -2025 (JKCE-2025)

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

(For Appellate Apex Medical Board)

Roll No: _____

Candidate Name: _____

Father /Husband's Name: _____

Gender: _____ **Date of Birth (dd-mm-yyyy):** _____

शारीरिक मापदण्ड परीक्षण :-

Candidate Should
Paste Passport
Size Photograph
and Sign across

क्र. सं.	जाँच हेतु मापदण्ड			माप / जाँच फल	जाँच पदाधिकारी की अनुमति (सफल / असफल)
1.	जँचाई (न्यूनतम)	पुरुष अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/पिछड़ा वर्ग (अनु.-02) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु.-01) के लिए-160 सें.मी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 155 सें.मी।	महिला 148 सें.मी。 (सभी कोटि के लिए)		

Sl No.	Type of Test	Results
1.	Physically Disability/Deformity (If any) (शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, झँगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमना या अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए)	
2.	Vision	Left Eye Right Eye
3.	Colour Blindness/ Night Blindness	
4.	Hearing	
5.	Stammering	
6.	Bericocole/ Hydrocele /Piles (if any)	
7.	Any Communicable Physical /Mental disease.	

We certify that we have carefully examined this candidate and he/she has signed in my presence.

*He/ She has no Mental/ Physical disease and found FIT.

*He/She has disease and is NOT FIT.

* Strike out which is not applicable.

Place: _____ Date: _____

Signature of Candidate
(In Presence of Medical Board)

1. Dr. _____ 2.Dr. _____ 3.Dr. _____

(Member of Apex Medical Board) (Member of Apex Medical Board) (Member of Apex Medical Board)

4. Dr. _____ 5. Dr. _____

{Member of Apex Medical Board (Female)} (Member of Apex Medical Board)

(Chairperson of Apex Medical Board)

परिशिष्ट—(XIV)

जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं का पाठ्यक्रम

विषय : हिन्दी

पुस्तक – क्षितिज भाग–2

काव्य-खण्ड

1. उधो तुम हौ अति बड़ेभागी – सूरदास
2. राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद – तुलसीदास
3. 'डार द्रुम पलना' 'पलनी नुपूर' – देव
4. 'आत्मकावय' – जयशंकर प्रसाद
5. 'उत्साह', 'अट नहीं रही' – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला
6. 'फसल', 'यह दंतुरित मुस्कान' – नागार्जुन
7. छाया मत छुना मन – गिरिजा कुमार माथुर
8. कन्यादान – ऋतुराज
9. संगतकार – मंगलोश डबराल

गद्य-खण्ड

1. नेता जी का चश्मा – स्वयं प्रकाश
2. बाल गोबिन भगत – रामवृक्ष बेनीपुरी
3. लखनवी अंदाज – यशपाल
4. मानवीय करुण की दिव्य चमक – सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
5. एक कहानी यह भी – मनू भंडारी
6. स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतर्कों का खण्डन – महावीर प्रसाद द्विवेदी
7. नौबत खाने में इबादत – यतीन्द्र मिश्र
8. संस्कृति – भक्त आनन्द कौसल्यायन

पुस्तक-कृतिका भाग–2

1. माता का आँचल – शिवपूजन सहाय
2. जार्ज पंचम की नाक – कमलेश्वर
3. साना साना हाथ जोड़ि – मधु कांकरिया
4. ऐही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा – शिवप्रसाद मिश्र रुद्र
5. मैं क्यों लिखता हूँ – अज्ञेय

व्याकरण :— क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन।

विषयः कुरमाली

1. **व्याकरण** : संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, मिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य – शुद्धिकरण।
 2. **शिष्ट साहित्य** : कुरमाली – साहित्य के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता)
 3. **लोक साहित्य** : कुरमाली लोकथा
 - लोकगीत – करम, बिहारीत, डमकच, बांदना (सोहराई)
 - झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी
 - कुरमाली साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ
 - कुरमाली साहित्य का सामान्य परिचय
-

विषयः हो

1. **व्याकरण** :- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली काल आदि।
 2. **साहित्यः**
 - (i) **गद्य संग्रहः**— मगे मुनु जगर, मादेड़ साड़े, लको बोदरा, बले बुर्ल रेयः काअनि, रितुइ गोन्डाई, लाड ओए चिल्काते बोंडोलेयना।
 - (ii) **पद्य संग्रहः**— गुलाब बड़ा, दिषुम, अबुअः भारत दिसुम, अम्बुल, जोनोम दिसुम, सिंगि।
-

विषयः खोरठा

1. **गद्य भागः**— कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास
 - (क) खोरठा गद्य— पद्य संग्रह— प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो।
 - (ख) दू डाइर जिरहुल फूल
 2. **व्याकरणः**— संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा, कहावत।
 3. **निबंधः**— समसामयिक विषय पर
-

खड़िया

1. **व्याकरण** :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरा, बुझावल, उल्टा शब्द।
2. **शिष्ट साहित्य** :- खड़िया पाठ्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता आदि)

3. **लोक साहित्य :-**
- (i) खड़िया कहानी (लोककथा)
 - (ii) खड़िया गीत—पर'ब—तिहा, बिहा (केरसोड.), मुरड', कसासिड.।
 - (iii) खड़िया साहित्यकार—जुलियस बा', प्यारा केरकेट्टा, जोवाकिम डुँगडुँग, पौलुस कुल्लू।
 - (iv) **निबंध** — शहीद तेलेंग खड़िया, खड़िया महासभा, बंदोई, जाड कोर, करम, मदेझत, जनम पर'ब।
-

विषय: पंचपरगनिया

1. **व्याकरण :-** संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, उल्टा शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, विशिष्ट शब्द, पत्र लेखन आदि।
 2. **शिष्ट साहित्य:-** पंचपरगनिया साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता आदि)
 3. **लोक साहित्य—**
 - (i) मारांग बुरु,
 - (ii) पूजा थान (देवस्थल)
 - (iii) करम गीत, सँहरइ गीत, बिहा गीत, पुसगीत, मंतर गीत।
 - (iv) बिरसा मुण्डा, स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े लोग
 - (v) पंचपरगनिया साहित्यकार एवं उनकी कृति
 - (vi) पंचपरगनिया साहित्य का परिचय
-

विषय : संथाली भाषा का पाठ्यक्रम

1. **व्याकरण —** संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण।
2. **शिष्ट साहित्य —** संताली—साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता आदि)
3. **लोक साहित्य —**
 - (क) आगिल हापड़ाम कोवा; काथा,
 - (ख) आगिल हापड़ाम कोवा सेरेझ—एनेच—बाहा, डाहार, सोहराय, काराम, दाँसाँय।
 - (ग) माहात्मा गाँधी जियोन चरित।

-
- (घ) सिदो कानहू और तिलका माँझी जीवन एवं आंदोलन
 - (ङ) संताली साहित्यकार एवं कृति
 - (च) संताली साहित्य का परिचय
-

विषय : संस्कृत

प्रश्न झारखण्ड राज्य के मैट्रिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे। झारखण्ड राज्य में दशम कक्षा हेतु स्वीकृत पुस्तक शेमुषी (भाग-2) के सभी पाठ तथा उनमें अनुप्रयुक्त व्याकरण इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे। इनके अतिरिक्त शब्द रूप, धातु रूप, तथा व्याकरण के अन्य भाग इस प्रकार होंगे –

शब्द रूप

बालक, फल, रमा, पति, मति, नदी, धेनु, वधू, पितृ, मातृ, राजन, गच्छन्, भवत्, आत्मन्, विद्वस्, तत्, किम्, इदम्, अस्मद्, युष्मद्।

धातु रूप (लट, लोट, विधि लिङ्ग, लङ्, तथा लृट लकारों में)

पठ, गम्, लिख्, पा, स्था, दृश, अस्, भज्ञ, घ्रा, हन्, श्रु, नृत्, स्पृश, कथ्, कृ, ज्ञा तथा क्री।

सन्धि – स्वर सन्धि (भेदों सहित), व्यंजन सन्धि, विसर्ग–सन्धि।

समास – तत्पुरुष, वहुब्रीहि तथा द्वन्द्व समास।

कारक – सभी विभक्तियों का प्रयोग।

सामान्य व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ध्वनि, पद, धातु, वाच्य रिवर्तन (केवल लट् लकार में)

विषय : नागपुरी

1. **नागपुरी व्याकरण से**— वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रियाविशेषण, कारक, काल धातु, क्रिया, अव्यय, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द उपसर्ग–प्रत्यय, समास अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि।
 2. **नागपुरी शिष्ट साहित्य से** – मंजर– भाग-2 से— शकुंतला मिश्र, डॉ. उमेशनन्द तिवारी
 3. **नागपुरी लोक साहित्य से** – लोक गीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे
-

विषय : मुण्डारी

1. **व्याकरण** – संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण।
 2. **शिष्ट साहित्य** – मुण्डारी साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश–कहानी, गीत कविता।
 3. **लोक साहित्य** – मुण्डारी लोक गीतों (बा, करम, जरगा, जतरा, जपि, अड़ान्दि)
-

विषय: कुडुख

1. **व्याकरण** – संज्ञा, सर्वनाम, विषेषण, क्रिया विषेषण, लिंग, वचन, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल आदि।
 - (क) **शिष्ट साहित्य** – कुडुख साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, उपन्यास, नाटक, गीत, कविता)
 2. **लोक साहित्य** –
 - (क) लोक कथा
 - (ख) लोक गीत
 - (ग) मुहावरे
 - (घ) कहावतें
 - (ङ) पहेली
-

विषय :उड़िया

1. गद्य विभाग

(A) **साहित्य – 2007 (OBSE)**

- | | | |
|--|---|----------------------|
| (a) दुनियार हालचाल | — | गोपाल चन्द्र प्रहराज |
| (b) नारद स्तुति | — | डा. सदाशिव मिश्र |
| (c) जातिय स्रोतरे वुद्धिजीवी मानंक स्थान | — | डा. वैद्यनाथ मिश्र |
| (d) स्वाधीन जातिर नूतन मूल्यवोध | — | डा. गोलक विहारी धल |

(B)	आम साहित्य – 2007 (OBSE)	
(a)	उच्चाभिलाष	— शशिभूषण राय
(b)	सेहि स्मरणीय दिवस	— डा. हरेकृष्ण महताव
(c)	विद्या ओ विधार्थी	— चित्तरंजन दास
2.	<u>पद्य विभाग</u>	
(A)	साहित्य – 2007 (OBSE)	
(a)	उत्कल संतन	— मधुसूदन दास
(b)	नदी प्रति	— मधुसूदन राउ
(c)	धउली पाहाड़	— पदमचरण पट्टनायक
(d)	आगामी	— कालिन्दीचरण पाणिग्राही
(e)	बापुजी	— डा. मायाधर मानसिंह
(B)	आम साहित्य – 2007 (OBSE)	
(a)	युधिष्ठिरंक धर्म परीक्षा	— शारला दास
(b)	रामचरित	— उपेन्द्र भंज
(c)	छांट पुणि एडे से विराट	— सच्ची राउतराय
(d)	ग्रामपथ	— विनोद चन्द्र नायक
2.	<u>उड़िया साहित्यर इतिहास</u>	
(a)	उड़िया साहित्यर आदि पर्व	— सुरेन्द्र मंहान्ती
(b)	उड़िया साहित्यर इतिहास मध्य पूर्व	— सुरेन्द्र मंहान्ती
(c)	उड़िया साहित्यर इतिहास	— डा. मायाधर मानसिंह
(d)	उड़िया साहित्यर संक्षिप्त इतिहास	— डा. वृंदावन आचार्य
3.	<u>काव्य ओ कविता</u>	
(a)	श्रीमद् भागवत (एकादष स्कन्द)	— जगन्नाथ दाष
(b)	तपस्विनी	— गंगाधर मेहर
(c)	कारा कविता	— गोपवन्धु दाष
4.	<u>उपन्यास</u>	
(a)	छ' माण आठगुण्ठ	— फकीर मोहन सेनापति
(b)	माटिर मणीष	— कालिन्दी चरण पाणीग्रही
5.	<u>गल्प</u>	
(a)	गल्प श्वल्प (प्रथम भाग)	— फकीर मोहन सेनापति
(b)	आजिर गल्प संकलन (डिमिरी फुल , मागुणीर शगड, शिकार)	— निमाइ चरण पटट्नायक

6. नाटक

- | | |
|--------------|---------------------|
| (a) कोणार्क | — अश्विनी कुमार घोष |
| (b) घर संसार | — रामचन्द्र मिश्र |

7. व्याकरण

लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, अव्यय, क्रिया, संधि, समास, रूढ़ि प्रयोग, विपरीतार्थक शब्द, कुदन्त, तद्यित।

Subject : English Language and Literature

1. Language

- Error Recognition.
- **Grammar-** Adjective, Noun, Pronoun, Verb, Subject-Verb, Agreement, Interchangeability of Noun and Verb, Gerund, Participle, Infinitive, Adverb, Tense, Clause, Transformation, Narration, Voice, Preposition.
- Synonyms.
- Antonyms.
- Idioms & Phrases.
- Comprehension Passage etc.

2. Literature

- **Novel-** Oliver Twist- Charles Dickens; Animal farm- George Orwell; Five Point Someone- Chetan Bhagat; Treasure Island- R.L. Stevenson; Retold Stories: Lamb's Tales from Shakespeare
- **Poetry-** The Daffodils- William Wordsworth; The Donkey- Sir J. Arthur Thomson; Death Be Not Proud- John Donne; Leisure- W.H. Davis; Where The Mind Is Without Fear- Rabindranath Tagore; The Loveleist of Tress, The Cherry Now- A.E. Housman

- **Short Stories-** Three Questions- Leo Tolstoy; The Tiger's Claw- R.K. Narayan; A Man Who Had No Eyes- Mackinley Kantor; The Lost Jewel- Rabindranath Tagore .
 - **Essay-** Good Manners- J.C. Hill; The Sun, the Planets and the Stars- C. Jones; Animals In Prison- Jawaharlal Nehru; Forgetting- R. Lynd.
 - . **A History of the English Language (in short):** A History of English Language- A.C. Baugh, Origins of the English Language- Joseph Willies, Wikipedia.org
-

Subject : Urdu

1. **Prose**
 - i. Qaumi Hamdardi - Hali
 - ii. Guzra Howa Zamana - Sir Syed Ahmed Khan
 - iii. Achhi Kitab - Molvi Abdul Haque
2. **Poems**
 - i. Tarana-e-Hind - Iqbal
 - ii. O Desh se Aanewale Bata - Akhtar Sheerani
 - iii. Nagma-e-Sahar - Josh Malihabadi
 - iv. Barkha Rut aur Pardes - Hali.
3. **Grammar**
 - i. Opposite
 - ii. Gender
 - iii. Singular
 - iv. Plural
 - v. Meanings.

Subject : Bengali Language and Literature

1. **Novel, Drama, Poetry**
 - (A) Ramer Sumati- Sharatchandra
 - (B) Mukut-Rabindranath Thakur
 - (C) Shishu Kabyo (Selected)- Rabindranath Thakur

- | | |
|------------------|--------------------|
| (i) Manjhi, | (ii) Pujar Saj |
| (iii) Sukhdukkha | (iv) Kagajer Nouka |
- (D) Kabyo Sanchayan- Sahyendranath Dutta
- | | |
|-----------------|-------------------|
| (i) Mati | (ii) Jharna |
| (iii) palkirgan | (iv) Sagar Tarpan |
2. Grammar- Bisheshya, Bisheshan, Sarbanam, Kirya, Linga, Bachan
 3. Essay
 4. Letter writing

परिशिष्ट-XV

प्रमाण पत्र

पत्रांक

निर्गत तिथि

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक पुलिस संख्या नाम

..... पिता का नाम

पता पद पर

योगदान की तिथि जिला के अंतर्गत

वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत हैं। इनकी कार्यशैली एवं आचरण संतोषप्रद है।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

मुहर